न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 68 / 2018

बउनवान

कालूराम पुत्र रामगोपाल जाति काछी निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, कवाई जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)
3– सदस्य लोक अदालत

लोक अदालत निर्णय दिनांक 22.05.2018

अपीलांट ने अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 108 / 2016 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 25.05.2016 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम कूण्डी की सरकारी भूमि किस्म गै.मु. तालाब पर सम्वत् 2072 मे खसरा नम्बर 462 की रकबा 0.20 है. भूमि पर फसल गेंहू बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 100 / – रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 16.03.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांट ने किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रोपर तामील नहीं करवाई तथा जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया, मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट एवं पटवारी बयान को आधार मानकर एक तरफा कार्यवाही करते हुये अपीलांट को सजायाब किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म गै.मु. तालाब पर फसल गेंहू बोकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलांट को तामील प्रोपर करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 218/2015 में पारित निर्णय की पालना में पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 मे किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। पत्रावली मे अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील प्रोपर करवाई गई है तथा पूर्व में किए गए अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नही किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि पायी जाती है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 108/2016 मे पारित आदेश दिनांक 25.05.2016 मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि अपीलांट यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम कूण्डी की सरकारी भूमि किस्म गै. मु. तालाब खसरा नम्बर 462 की रकबा 0.20 है. से कब्जा छोड दे एवं शास्ति राशि जमा करा दे, तो नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 108/2016 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 25.05.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2016 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां